संख्या-3-2026-382-57-1099-11-2024

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2026

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्रीराम मंदिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में मैकेनाइज्ड स्मार्ट पार्किंग के निर्माण हेतु वित्तीयय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1262/ध0का0वि0नि0/2025-26, दिनांक 17.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 16.02.2026 के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-2, लो0नि0वि0, अयोध्या द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की धनराशि रू0 2276.52 लाख के सापेक्ष 77.79 प्रतिशत का व्यय सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं गुणवत्ता प्रमाण-पत्र पर संस्तुति प्रदान करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 2276.52 लाख (रूपये बाइस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-14-2024-1842-57-24-758-2023, दिनांक 09.09.2024 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 6504.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की 35 प्रतिशत धनराशि रू0 2276.519 लाख को पूर्णांकित करते हुए धनराशि रू0 2276.52 लाख (रूपये बाइस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में मैकेनाइज्ड स्मार्ट पार्किंग के निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल) ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग के पत्र दिनांक 10.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार फेज-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित पार्किंग निर्माण के कान्सेप्ट प्लान पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त फेज-ए के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा मूल्यांकित एवं व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 6504.34 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गयी धनराशि रू0 2276.52 लाख (रूपये बाइस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) के सापेक्ष जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 16.02.2026 के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नि0ख0-2, लो0नि0वि0, अयोध्या द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की धनराशि रू0 2276.52 लाख के सापेक्ष 77.79 प्रतिशत का व्यय सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं गुणवत्ता प्रमाण-पत्र पर प्रदान की गयी संस्तुति के दृष्टिगत प्रश्नगत परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 2276.52 लाख (रूपये बाइस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-</u>

(1) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक होने के कारण वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रायोजना का निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड पर कराया जाना है। अतः प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं /डिजाइन एवं ड्राइंग को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कन्सल्टेन्ट/ निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्रियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा ई०पी०सी० मोड पर निर्माण कार्य कराए जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाक 19 अक्टूबर, 2023 व अन्य सुसंगत शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा पी०एफ०ए०डी०/व्यय वित्त समिति की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) कार्यदायी सस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में में ही पूर्ण हो हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्याकन प्रभाग की शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(13) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेंगा।

(15) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(16) लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(17) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस संबध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212-(vii) में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(21) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी सस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(22) शासनादेश संख्याय-14-2024-1842-57-24-758-2023, दिनांक 09.09.2024 में उल्लिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धोंश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, लखनऊ/वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,76,52,000 (रुपये बाईस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-3-2026-382-57-1099-11-2024, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/अयोध्या।
5- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
7- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
8- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
9- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
11- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।